(a) The Brentford Electric (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1987.

(b) The National Dairy Development Board Bill, 1987.

(5) Consideration and passing of:

(a) The Equal Remuneration (Amendment) Bill, 1987.

(b) The Cine-Workers Welfare Fund (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA —Contd.

III. The Essential Commodities (Special Provisions) Continuance Bill, 1987

THE SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Essential Commodities (Special Provisions) Continuance Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 1987."

Madam, I lay a copy of the Bill on the Table.

TRIPURA BANDH

SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Madam, today on the 21st of August, 1987, the State of Tripura is observing a Tripura Bandh on the call of left and democratic mass organisation. The demand is for extension of railway line from Kumarghat to Agartala within the Seventh Five Year Plan and industrialisation of the State. Madam, after 40 years of independence the State remains a zero-industry State. There is only 22 km. railway line. The survey was completed and the report has already been submitted to the Planning Commission three years back, but the Planning Commission has not approved of this raliway extension work. So, I demand that the extension work be completed within the Seventh Five Year Plan. Also the State has plenty of gas, raw jute and bamboo. There may be established industry also.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You can establish fertilizer plant based on gas in the public sector in Tripura.

DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जानती हैं कि सारे देश में सूखा पड़ा हुआ है। पशुओं के लिए चारे की बहुत कमी हो गई है। भूसे की कीमत 2 रु० किलो हो गई है। सूखे के कारण पशु मर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सूखे पर सदन में बड़े पैमाने पर बहस होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सूखे पर बहस की आज्ञा दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, जिस दिन सदन में सूखे पर बहस हुई थी उस दिन हम लोग बाहर थे। सरकार ने एक तरफा ही बहस करवा ली। उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। गांवों में पशुओं के लिए भूसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। पानी और बिजली का इंतजाम नहीं हुआ है। इस पर पूरी बहस होनी चाहिए।

श्री शरद यादव : पूरे देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : सूखे पर बयान होना चाहिए।

उपसभापति : हाउस में इस पर बहस हो चुकी है, आप उस समय हाउस में नहीं थे। जब इस पर बहस हो चुकी है

[उपसभापति]

तो कैसे दुबारा फिर बहस हो सकती है ? (व्यवधान)...इस बारे में आप मिनिस्टर से मिलिये या मुझे लिखिये...(व्यवधान)...इस पर चर्चा हो चुकी है, दुबारा इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। अगर आप बयान चाहते हैं तो आप मुझे निवेदन दे दीजिये मैं उसे मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगी। ...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश चौहाला (हरियाणा) : हरियाणा में भयंकर सूखा है।...(व्यवधान)..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, जब सूखे पर चर्चा हुई तो हम सदन में नहीं थे यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आप मंत्री महोदय को निर्देश दे सकती हैं कि वे हर हफ्ते या दस दिन में सूखे से उत्पन्न ताजा स्थिति पर सदन को जानकारी दें, सदन में वक्तव्य दें। उस वक्तव्य पर हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं।

उपसभापति : आप मिनिस्टर से मिल सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बार-बार मिनिस्टर के पास जाने को मत कहिये।...(व्यवधान)

उपसभापति : आप बैठ जाइये। पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर यहां हैं वे गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचा देंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : वे यहां बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कुछ जवाब तो आना चाहिये।

उपसभापति : आप बैठ जाइये। मैंने कहा कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां हैं...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): We have actually spent one whole day on discussion on the drought situation and the Government....(*Interruptions*) I have not completed my sentence. Allow me to complete my sentence. I have only started. I only said the first part of it. Members had an opportunity here, when hon. Members from Opposition were absent from the House, to discuss the drought situation and the Minister has replied. Now Mr. Vajpayee has raised a new point that even though we had discussed the issue earlier, since the drought question is very important, the Minister must come every ten days and report to the House what actually is happening. That is a nice suggestion. I will certainly convey this to the Minister and take appropriate action.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, दस दिन में कैसे ये रिपोर्ट करेंगे ?...(व्यवधान)...सेशन खत्म हो रहा है...(व्यवधान)...

उपसभापति : बैठ जाइये। वाजपेयी जी मैं जो सजेशन दिया है उसको उन्होंने अक्सेप्ट किया है।

Now please sit down. You cannot go on like this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उसमें थोड़ा-सा संशोधन कर रहा हूं। सदन की बैठक स्थगित होने से पहले बयान होना चाहिए।

उपसभापति : यह सुझाव भी मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration."

Article 171 of the Constitution provides that the total number of members in the Legislative Council of a